

सं. ए-12011/03/2020-स्था.
भारत सरकार
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

117, कौशल भवन, प्रथम तल
न्यू मोती बाग, चाणक्यपुरी,
नई दिल्ली- 110023
दिनांक: 20 /02/ 2025

रिक्ति परिपत्र

विषय : कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय में परामर्शदाताओं (केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों से सेवानिवृत्त सरकारी सेवक) की नियुक्ति।

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय प्रारंभ में नियुक्ति की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए अनुबंध के आधार पर केंद्र सरकार से सेवानिवृत्त सरकारी सेवक से परामर्शदाताओं की नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। यदि परामर्शदाता का कार्य संतोषजनक पाया जाता है एवं उनकी सेवाओं की आवश्यकता होगी, तो नीचे दी गई आयु सीमाओं के अधीन, उनकी नियुक्ति को एक बार में एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है।

2. नियुक्ति तथा पात्रता मानदंड का नियम और शर्तें आदि इस प्रकार हैं:

परामर्शदाता (राजभाषा) -3 पद

(i) पात्रता मानदंड:

- कम से कम 5 वर्ष तक अनुवादक या कम से कम 3 वर्ष तक सहायक निदेशक (राजभाषा) के स्तर पर या केंद्र सरकार के मंत्रालयों या विभागों में समान कार्यकाल के लिए समकक्ष पदों पर कार्य किया होना चाहिए।
- अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद व पुनरीक्षण कार्य करने के अतिरिक्त विभिन्न अनुभागों से प्राप्त रिपोर्ट, अध्ययन रिपोर्ट, पृष्ठभूमि नोट, कैबिनेट नोट, पीपीटी, वार्षिक रिपोर्ट व संसद के पटल पर रखे जाने वाले विभिन्न दस्तावेज़ का निर्धारित समय-सीमा में अनुवाद व पुनरीक्षण का कार्य करना, राजभाषा कार्यान्वयन संबंधी कार्य जैसे मंत्रालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति तथा हिंदी सलाहकार समिति की बैठकों का आयोजन व तत्संबंधी समस्त पत्राचार, केंद्रीय राजभाषा समिति एवं केंद्रीय हिंदी समिति संबंधी पत्राचार, मंत्रालय के विभिन्न अनुभागों से समय पर हिंदी की तिमाही प्रगति रिपोर्ट एकत्र करना, अनिवार्य हिंदी प्रशिक्षण से संबंधित रोस्टर तैयार करना, हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित तिमाही प्रगति रिपोर्ट तैयार करना, मंत्रालय व अधीनस्थ कार्यालय के संसदीय राजभाषा समिति के निरीक्षण से पूर्व निरीक्षण प्रश्नावली भरना तथा अधीनस्थ कार्यालय की रिपोर्ट की समीक्षा करना, संसदीय समिति के निरीक्षण संबंधी पत्राचार तथा समय-समय पर राजभाषा कार्यशालाओं के आयोजन आदि का कार्य करना, राजभाषा पखवाड़े का आयोजन करना और संसद प्रश्नोत्तर आदि का अनुवाद कार्य करना। इसके अलावा राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा बनाए गए मापदण्डों को पूरा करता हो।

रीटन. [Signature]
20/02/2025

(ii) **आयु सीमा:** अधिकतम आयु सीमा 62 वर्ष है (आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि के अनुसार)

(iii) **कार्य क्षेत्र/उत्तरदायित्व:**

- सभी संसदीय प्रश्नों, कैबिनेट नोट्स और अन्य संसदीय मामलों का अनुवाद।
- नियमित अंतराल पर होने वाली विभिन्न संसदीय समिति की बैठकों के लिए हिंदी में सामग्री उपलब्ध कराना।
- मंत्रालय के संबंध में वार्षिक रिपोर्ट, परिणामी बजट और अनुदान की विस्तृत मांगों का हिंदी में अनुवाद।
- हिंदी से संबंधित फाइलों एवं अभिलेखों का रखरखाव।

3. परामर्शदाताओं की नियुक्ति के सामान्य नियम और शर्तें:

(i) **पारिश्रमिक:** एक निश्चित मासिक राशि स्वीकार्य होगी, जो सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त वेतन से मूल पेंशन घटाकर निकाली जाएगी। इस प्रकार निर्धारित पारिश्रमिक की राशि अनुबंध की अवधि के लिए अपरिवर्तित रहेगी। अनुबंध अवधि के दौरान कोई वार्षिक वेतन वृद्धिप्रतिशतता में वृद्धि नहीं होगी।

(ii) अनुबंध की अवधि के दौरान महंगाई भत्ते की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(iii) **आयु-सीमा:** मंत्रालय में सेवारत रहने की आयु सीमा 65 वर्ष तक होगी।

4. भत्ते: परामर्शदाता किसी भी भत्ते का हकदार नहीं होगा।

4.1 मकान किराया भत्ता: कोई मकान किराया भत्ता देय नहीं होगा।

4.2 परिवहन भत्ता : निवास और कार्यस्थल के बीच आवागमन के प्रयोजन के लिए परिवहन भत्ते के रूप में एक निश्चित राशि की अनुमति दी जाएगी जो सेवानिवृत्ति के समय नियुक्त व्यक्ति पर लागू दर से अधिक नहीं होगी। इस प्रकार निर्धारित राशि नियुक्ति अवधि के दौरान अपरिवर्तित रहेगी। हालाँकि, परामर्शदाता के रूप में नियुक्त सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के समय उनकी पात्रता के अनुसार, आधिकारिक दौरे पर टीए/डीए, यदि कोई हो, की अनुमति दी जा सकती है।

4.3 छुट्टी: सेवा के प्रत्येक पूर्ण माह के लिए 1.5 दिन की दर से सवैतनिक अनुपस्थिति अवकाश की अनुमति दी जा सकती है। एक कैलेंडर वर्ष से अधिक छुट्टी जमा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

5. नियुक्ति की अवधि:

5.1 नियुक्ति की अवधि सामान्यतः प्रारंभिक अवधि के लिए होगी जो एक वर्ष से अधिक नहीं होगी जिसे एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। अधिवार्षिता की आयु के दो वर्ष बाद, जहां पर्याप्त औचित्य मौजूद हो, कार्य की समीक्षा और अनुबंध पर नियुक्त व्यक्ति के निष्पादन के आधार पर कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, बशर्ते इसे सेवानिवृत्ति के बाद 5 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाया जाएगा।

5.2 परामर्शदाता भारत सरकार के साथ नैतिकता और सत्यनिष्ठा के खंड वाले गोपनीयता के एक करार पर हस्ताक्षर करेंगे।

नीरव कुमार
29/07/2025

6. अन्य नियम एवं शर्तें:

- (i) परामर्शदाताओं का मुख्यालय दिल्ली में होगा।
- (ii) व्यक्ति को एमएस वर्ड, पावर प्वाइंट में काम करने में सक्षम होना चाहिए और मामलों का टिप्पण करने, प्रारूप तैयार करने और जांच करने में कुशल होना चाहिए।
- (iii) वे केंद्र सरकार के पूल से टेलीफोन सुविधाओं, परिवहन सुविधाओं, स्टाफ कार और आवासीय आवास के भी हकदार नहीं होंगे।
- (iv) परामर्शदाताओं की नियुक्ति पूर्णतः अनुबंध के आधार पर होगी।
- (v) उम्मीदवार को गोपनीयता को भंग न करने के वचन देने की अपेक्षा होगी।
- (vi) परामर्शदाताओं को शनिवार, रविवार और अन्य राजपत्रित छुट्टियों पर कार्यालय में बुलाया जा सकता है या काम की अत्यावश्यकता के मामले में कार्यालय समय के बाद कार्यालय में देर तक बैठने के लिए कहा जा सकता है। इसके लिए कोई अतिरिक्त भत्ता अनुमेय नहीं होगा।
- (vii) परामर्शदाता के रूप में अपनी नियुक्ति की अवधि के दौरान पेंशन और पेंशन पर महंगाई राहत, यदि कोई हो, प्राप्त करना जारी रखेंगे।
- (viii) स्वीकार्य टीडीएस मासिक पारिश्रमिक से काटा जाएगा। मांग पर संबंधित डीडीओ द्वारा एक टीडीएस प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा।
- (ix) परामर्शदाताओं को निर्धारित सामान्य कार्य घंटों का पालन करना होगा। (अर्थात् सुबह 09:00 बजे से शाम 05:30 बजे तक) हालांकि, आवश्यकतानुसार समयबद्ध कार्य को पूरा करने के लिए देर तक बैठना पड़ता है। उपस्थिति आधार आधारित बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम (बीएस) के माध्यम से दर्ज की जाएगी।
- (x) सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों को संविदा पर रखे जाने पर उनके मानदेय, भत्ते, छुट्टी आदि का निर्धारण वित्त मंत्रालय द्वारा समय-समय पर संसोधित दिशानिर्देशों के अधीन होगा।
- (xi) सरकार या मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी किए गए सभी नियमों और विनियमों का भी अनिवार्य रूप से पालन किया जाना होगा।

7. आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि तिथि 12 मार्च 2025 (सांध्य 5 बजे तक) है।

8. इच्छुक और पात्र उम्मीदवार अपना आवेदन निर्धारित प्रोफार्मा में विधिवत भरकर निम्न पते पर जमा कर सकते हैं:

अवर सचिव (स्था.)

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

कमरा संख्या - 117, कौशल भवन, न्यू मोती बाग,

लीला पैलेस के समीप, नई दिल्ली - 110023

नीरज कुमार
20/02/2025

(नीरज कुमार)

भारत सरकार के अवर सचिव

फ़ोन: 011-26773117

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय में परामर्शदाताओं (केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों से सेवानिवृत्त सरकारी सेवक) की नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र (कृपया टाइप करें)

फोटो

1. नाम: _____
2. पिता का नाम: _____
3. जन्म की तारीख : _____
4. डोमिसाइल: _____
5. राष्ट्रियता: _____
6. पता: _____
7. ई मेल: _____
8. मोबाइल: _____
9. शैक्षणिक अर्हता: _____
10. सेवा के दौरान पिछले 10 वर्षों का ब्योरा:

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम सहित तैनाती का स्थान और पदनाम	पे-स्केल	से	तक	कार्य की प्रकृति

11. कौशल/ प्रशिक्षण, यदि कोई हो तो: _____

12. अन्य विशेष जानकारी, यदि कोई हो, तो उक्त नियुक्ति के लिए अपनी उपयुक्तता के समर्थन में (यदि आवश्यक हो तो, अलग शीट का उपयोग करें)

13. कृपया पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) की एक प्रति संलग्न करें (सेवानिवृत्त कर्मियों के मामले में)

आवेदक का नाम और हस्ताक्षर

स्थान :

दिनांक: